रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2015/ज्येष्ठ 11, 1937
No. 354] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2015/JYAISTHA 11, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक, 1 जून, 2015

सं. 25/2015-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 443(अ).—जबकि कि पदनामित प्राधिकारी ने, कोरिया आर पी, ताइवान, चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाइलैंड और रूस में मूलत: उदगमित अथवा वहां से निर्यात की गई तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 3904 के अंतर्गत आने वाले "पोली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन" पर, दिनांक 26 जुलाई, 2011 की सा.का.नि. सं. 571(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 26 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. 66/2011-सीमा शुल्क के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) की शर्तों के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण तथा संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुक्रम में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड 1 में दिनांक 27 अप्रैल, 2015 को प्रकाशित दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के अधिसूचना सं. 15/19/2014-डीजीएडी के अंतर्गत समीक्षा प्रारंभ की थी तथा उपरोक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (5) के शर्तों के अनुसार एक और वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है।

अब उपयुक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उपयुक्त नियमों के नियम 23 के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 571 (अ) के अंतर्गत दिनांक 26 जुलाई, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त

मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 26 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या 66/2011-सीमा-शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उपर्युक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"3. पैराग्राफ 2 में विहित किसी भी बात के बावजूद यह अधिसूचना 25 जुलाई, 2016 जिसमें यह तारीख भी शामिल है तक प्रभावी रहेगी, यदि इसे पहले रद्द नहीं कर दिया जाए।"

[फा. सं. 354/92/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 66/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 26 जुलाई, 2011 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 571(अ) दिनांक 26 जुलाई, 2011 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2015

No. 25/2015-Customs (ADD)

G.S.R. 443(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No.15/19/2014-DGAD, dated the 27th April, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27th April, 2015, has initiated review, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on "Poly Vinyl Chloride Paste Resin", falling under Heading 3904 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from, Korea RP, Taiwan, People's Republic of China, Malaysia, Thailand and Russia, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 66/2011-Customs, dated the 26th July, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 571(E), dated the 26th July, 2011 and has recommended for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 66/2011-Customs, dated the 26th July, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 571(E), dated 26th July, 2011, namely: -

In the said notification, after paragraph 2 and before the *Explanation*, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, this notification shall remain in force upto and inclusive of the 25th day of July, 2016, unless revoked earlier.".

[F. No. 354/92/2015-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 66/2011-Customs, dated the 26th July, 2011, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 571(E), dated the 26th July, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक, 1 जून, 2015

सं. 26/2015-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 444(अ).—जबकि कि पदनामित प्राधिकारी ने, यूरोपीय संघ में मूलत: उदगमित अथवा वहां से निर्यात की गई तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 3904 के अंतर्गत आने वाले "पोली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन" पर, दिनांक 25 जून, 2010 की सा.का.नि. सं. 553(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 25 जनू, 2010 की अधिसूचना सं. 70/2010-सीमा शुल्क के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) की शर्तों के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण तथा संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुक्रम में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड 1 में दिनांक 27 अप्रैल, 2015 को प्रकाशित दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के अधिसूचना सं. 15/19/2014- डीजीएडी के अंतर्गत समीक्षा प्रारंभ की थी तथा उपरोक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (5) के शर्तों के अनुसार एक और वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है।

अब उपयुक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उपयुक्त नियमों के नियम 23 के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतदद्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 553 (अ) के अंतर्गत दिनांक 25 जून, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 25 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या 70/2010-सीमा शुल्क में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उपर्युक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"3. पैराग्राफ 2 में विहित किसी भी बात के बावजूद यह अधिसूचना 24 जून, 2016 जिसमें यह तारीख भी शामिल है तक प्रभावी रहेगी, यदि इसे पहले रद्द नहीं कर दिया जाए ।"

[फा. सं. 354/92/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 70/2010-सीमा शुल्क, दिनांक 25 जून, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 553(अ) दिनांक 25 जून, 2010 के द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2015

No. 26/2015-Customs (ADD)

G.S.R. 444(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No.15/19/2014-DGAD, dated the 27th April, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27th April, 2015, has initiated review, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on "Poly Vinyl Chloride Paste Resin", falling under Heading 3904 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the European Union, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 70/2010-Customs, dated the 25th June, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 553(E), dated the 25th June, 2010 and has recommended for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 70/2010-Customs, dated the 25th June, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) *vide* number G.S.R. 553(E), dated 25th June, 2010, namely: —

In the said notification, after paragraph 2 and before the *Explanation*, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, this notification shall remain in force upto and inclusive of the 24th day of June, 2016, unless revoked earlier.".

[F. No. 354/92/2015-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 70/2010-Customs, dated the 25th June, 2010, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 553(E), dated the 25th June, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2015

सं. 27/2015-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 445(अ).—जबकि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 24 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-(1) में प्रकाशित दिनांक 24 सितम्बर, 2013 की अपनी अधिसूचना सं.15/16/2013-डीजीएडी, के अंतर्गत कोरिया आर.पी. और थाईलैंड (यहां जिसे विषयगत देशों के रूप में संदर्भित किया गया है) से मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए ऐक्रीलिक फाइबर (यहां जिन्हें विषयगत वस्तु के रूप में संदर्भित किया गया है) जो सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे यहां उपर्युक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 55 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 20 नवम्बर, 2008 को सा.का.नि. सं. 806(अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. 123/2008-सीमा-शुल्क के अंतर्गत लागू किया गया था, को बनाए रखने के मामले की समीक्षा शुरू की थी।

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र के असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 8 नवम्बर, 2013 को सा.का.नि. सं. 726 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 8 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. 27/2013- सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा, 19 नवम्बर, 2014 तक विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की गई विषयगत वस्तु पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को बनाए रखा था।

और जबकि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में पद नामित पदाधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I , खंड-1 में दिनांक 23 मार्च, 2015 को प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष सं. 15/16/2013-डीजीएडी के अंतर्गत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत देशों से विषयगत माल का भारत को निर्यात संबद्ध सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है;

(ii) विषयगत देशों से विषयगत माल के आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(iii) वास्तविक क्षति विषयगत देशों से विषयगत माल के पाटित आयातों के कारण हुई है।

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए;

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और

उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है ।

सारणी

क्र.स.	उपशीर्ष	वस्तु	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	550130, 550330, 550630	ऐक्रीलिक फाइबर	थाईलैंड	थाईलैंड	थाई ऐक्रीलिक फाइबर कंपनी लि. थाईलैंड	थाई ऐक्रीलिक फाइबर कंपनी लि. थाईलैंड	162	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	550130, 550330, 550630	ऐक्रीलिक फाइबर	थाइलैंड	थाइलैंड	क्रम सं. 1 के अलावा अन्य कोई संयोजन		493	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	550130, 550330, 550630	ऐक्रीलिक फाइबर	थाईलैंड	विषयगत देशों. के अलावा अन्य कोई देश	कोई	कोई	493	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
4	550130, 550330, 550630	ऐक्रीलिक फाइबर	विषयगत देशों के अलावा अन्य कोई देश	थाईलैंड	कोई	कोई	493	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
5	550130, 550330, 550630	ऐक्रीलिक फाइबर	कोरिया आर.पी.	कोरिया आर.पी.	कोई	कोई	270	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
6	550130, 550330, 550630	ऐक्रीलिक फाइबर	कोरिया आर.पी.	विषयगत देशों के अलावा अन्य कोई देश	कोई	कोई	270	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
7	550130, 550330, 550630	ऐक्रीलिक फाइबर	विषयगत देशों के अलावा अन्य कोई देश	कोरिया आर.पी.	कोई	कोई	270	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू "विनिमय दर" वहीं होगी जो सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय

पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा. सं. 354/48/2002-टीआरयू (भाग-I]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2015

No. 27/2015-Customs (ADD)

G.S.R. 445(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 15/16/2013-DGAD, dated the 24th September, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Acrylic Fibre (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Chapter 55 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Korea RP and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 123/2008-Customs, dated the 20th November, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 806(E), dated the 20th November, 2008;

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country upto and inclusive of the 19th November, 2014 *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 27/2013-Customs (ADD), dated the 8th November, 2013, published in Part-II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 726(E), dated the 8th November, 2013;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 15/16/2013-DGAD, dated the 23rd March, 2015, in Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that-

(i) the subject goods have been exported to India from the subject country below its associated normal value, thus, resulting in dumping;

(ii) the domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods;

(iii) the material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries.

and has recommended imposition of the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5501 30, 5503 30, 5506 30	Acrylic Fibre	Thailand	Thailand	Thai Acrylic Fibre Company Ltd., Thailand	Thai Acrylic Fibre Company Ltd., Thailand	162	MT	US Dollar
2	5501 30, 5503 30, 5506 30	Acrylic Fibre	Thailand	Thailand	Any other than the combination at Sl. No. 1		493	MT	US Dollar
3	5501 30, 5503 30, 5506 30	Acrylic Fibre	Thailand	Any country other than subject countries	Any	Any	493	MT	US Dollar
4	5501 30, 5503 30, 5506 30	Acrylic Fibre	Any country other than subject countries	Thailand	Any	Any	493	MT	US Dollar
5	5501 30, 5503 30, 5506 30	Acrylic Fibre	Korea RP	Korea RP	Any	Any	270	MT	US Dollar
6	5501 30, 5503 30, 5506 30	Acrylic Fibre	Korea RP	Any country other than subject countries	Any	Any	270	MT	US Dollar
7	5501 30, 5503 30, 5506 30	Acrylic Fibre	Any country other than subject countries	Korea RP	Any	Any	270	MT	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/48/2002-TRU (Pt.-I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.